

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 294 / 2022

तारीख रजू :- 29.11.22

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/618

उनवान

भरोसी पुत्र किशोरी जाति जाट निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

--वादी

बनाम

अलकेश पुत्री सूका जाति ब्राह्मण निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

--प्रतिवादीगण-43

दिनांक	फर्द अहकाम
29.11.22	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री शर्दोलाल चौधरी एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अनूप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>21/11 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उम० वादी वकील ने आवगत कराया कि वादी को प्रेस अकरम आगे नहीं चलाना चाहिए। (S.L. Choudhary) यह वादी को प्रेस नोटिस में शामिल करना चाहिए। मु० नं० 294/22 दावा भरोसी बनाम अलकेश नोटिस में शामिल किया जाता है। पत्रावली केवल शुभारंभ के तहत रजिस्टर में रजिस्टर है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>